

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी (धनबाद)

वाद संख्या 320 / 2016-17

पदाधिकारी का आदेश

अप्रयुक्त

तिथि		अप्रयुक्त
6/8/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्ता, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज जो मौजा पाण्डुवा थाना सं0-275 के खत खाता 19 खेसरा- 43,1895 अंश रकबा -1.25ए0 से संबन्धित है एवं गैर आबाद खाले की भूमि है, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 18/8/2020 को उपस्थापित करें।</p>	<p>अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।</p>
18/8/2020 31/10/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुवीबद्ध है। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज द्वारा निर्धारित तिथि को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। इनके द्वारा कोई राजस्व कागजात सन्निहित नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा सन्निहित चेक-लिस्ट का गहनतापूर्वक जाँच कर स्पष्ट मन्तव्य की माँग करें। अभिलेख दिनांक- 18/11/2020 को उपस्थापित करें।</p>	<p>अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।</p>
18/11/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय संकल्प सं0-6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी रद्द करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपरन्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-पाण्डुवा थाना सं0-275 के खता-19 के खेसरा-43,1895 रकबा-1.25ए0 भूमि की कायम जमाबंदी सं0-412 जो रैयत हिलू महताँ के नाम कायम सन्दिग्ध प्रतीत होती है। उक्त गैर आबाद खाले की भूमि का दिनांक 1.1.1946 से पूर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p>	<p>अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।</p>



अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-(4H) के तहत जमाबन्दी पंजी-2 में कायम जमाबन्दी सं०-412 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

*Dr. B. K. Singh*  
अंचल अधिकारी  
पूर्वी टुण्डी।